

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'बारह'

[29/7/2016] परिशिष्ट 3A

कार्यालय [कलेक्टर, 2215] जिला खरगोन (म.प्र.)

मजरे टोलो को ग्राम इकाई बनाना के संबंध में तहसील महेश्वर एवं बडवाह की जानकारी

प्रश्नांश "ग" प्रपत्र-2

तारांकित प्रश्न क्रमांक 2215

तहसील	ग्राम पंचायत का नाम	मजरे टोलो	जनसंख्या				परिवार संख्या	भतदाता संख्या	कृषक इकाई संख्या	रकबत हे.	ग्राम से दूरी	
			अ. जा.	अ.ज. जा.	अन्य	योग						
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	
महेश्वर	आशापुर	1.आवलया	-	125	-	125	25	76	15	25	मूल ग्राम दूरी 02 कि.मी. से कम है।	
		2.होलीमाल	-	75	-	75	15	45	15	20	मूल ग्राम दूरी 02 कि.मी. से कम है।	
		3.गोटानिया	-	275	-	275	55	168	30	45	मूल ग्राम दूरी 02 कि.मी. से कम है।	
		4.जिरात छोटी,	-	245	-	245	50	149	40	35	मूल ग्राम दूरी 02 कि.मी. से कम है।	
		5. जिरात बड़ी,	-	525	-	525	125	320	75	70	मूल ग्राम दूरी 02 कि.मी. से कम है।	
		6.करोंदिया, आवार	-	215	-	215	50	131	20	15	मूल ग्राम दूरी 02 कि.मी. से कम है।	
		7.कापीकुआ	-	-	-	-	-	-	-	9	-	पृथक राजस्व ग्राम (वीरान) है।
		8.घावडिया वैडी	-	195	-	195	45	118	25	20	मूल ग्राम दूरी 02 कि.मी. से कम है।	
		9.नांदिया हैडी	-	145	-	145	35	88	15	10	मूल ग्राम दूरी 02 कि.मी. से कम है।	
बडवाह	बडकी चौकी	10.आशाखी	88	508	133	729	145	444	105	190	मूल ग्राम दूरी 02 कि.मी. है।	

डिप्टी कलेक्टर

वास्ते कलेक्टर जिला खरगोन

क्रमांक 1195/1181 प्र./भा.चि.शा./म.टो./2012

प्रति,

अधीक्षक भू-अभिलेख,
भू-अभिलेख शाखा
कलेक्टर जिला सतरा
(म.प्र.)

क्रमांक 2102515 परिशिष्ट व

- विषय- ज्ञानजीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा क्र. ए 0969 मजरे टोली को राजस्व ग्राम घोषित करने बाबत ।
- संदर्भ- (1) प्रमुख सचिव म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल का समस्त कलेक्टर को संबोधित तथा इस कार्यालय को पृष्ठांकित पत्र-क्र.एफ 11-1/2010/सात-शा.6 भोपाल दिनांक 8 जुलाई 2011.
- (2) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 781/1181 प्र./भा.चि.शा./म.टो./2012 व्यवस्थित दिनांक 16.4.2012.

उपर्युक्त विषय पर संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कह करे । विषयान्तर्गत लेख है कि कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं वन्दोयस्त ग्वालियर में अधीक्षक भू-अभिलेख अधिकारियों की दिनांक 2.6.2012 को आयोजित की गई बैठक में मान.आयुक्त ग्वादयस द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि भू-राजस्व संहिता के विहित प्रावधानों का अनुपालन करते हुए, ऐसे मजरे टोली को चिन्हांकित करें, जिन्हे राजस्व ग्राम में परिवर्तित किया जा सकता है ।

- अतः मजरे टोली को राजस्व ग्राम में परिवर्तित के लिये निम्नांकित शर्तें अपनाये जायें :-
- (अ) भू-राजस्व ग्राम से मजरे टोली की दूरी लगभग 2 कि.मी.या अधिक होनी चाहिये ।
 - (ब) प्रत्येक बनाये जा रहे राजस्व ग्राम का क्षेत्रफल 200 एकड़ से कम न हो, तथा पृथक हुए उक्त ग्राम की आबादी 200 या अधिक होनी चाहिये ।
 - (स) प्रत्येक बनाये जा रहे, राजस्व ग्राम की चतुर्सीमायें नूल ग्राम से एवं अन्य सीमावर्ती ग्रामों से मिलनी चाहिये, मजरे टोली से पृथक बनाये जा रहे राजस्व ग्राम की सीमायें मूल ग्राम की सीमाओं के अन्दर ही स्थित न रहें ।

अतः उपरोक्त अवस के शर्तों एवं म.प्र.भू-राजस्व संहिता में विहित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए जिले में, मजरे टोली को राजस्व ग्राम बनाये जाने हेतु चिन्हांकित कर सूची, एवं सूचित किये जा रहे, नवीन राजस्व ग्रामों के जानचित्री की प्रति, के साथ, औचित्यपूर्ण प्रस्ताव निर्देशानुसार 15 से 20 दिवस के अन्दर प्राथमिकता देकर तैयार कर इत कार्यालय को भिजवायें ।

मजरे टोली से बनाये जाने वाले नवीन राजस्व ग्रामों के साक्षात्, चिन्हांकित मजरे टोली की सामग्री सूची, आवधिक सुसंगत हो, इस तथे का विशेषतः ध्यान रखे जाने बाबत आदेशित किया जाता है ।

सं. आ. आयुक्त
भू-अभिलेख एवं वन्दोयस्त
मध्य प्रदेश

21/5/12

2

कलेक्टर जिला ~~समस्त~~म.प्र.की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करते हुए
लेख है कि अधीनस्थ को विषयांकित जानकारी के, प्रस्ताव 15 से 20 दिवस के भीतर निर्देशानुसार तैयार
कराये जाकर इस कार्यालय को भिजवाये जाने हेतु कृपया आदेशित करने का कष्ट करें।

2- क्षेत्रीय उप आयुक्त भू-अभिलेख जिला ~~समस्त~~म.प्र.की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही
हेतु।

राशि

संयुक्त आयुक्त

भू-अभिलेख एवं वन्दोबस्त
मध्य प्रदेश